न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड के तौर पर पदस्थ किया। वादग्रस्त आराजी अधिग्रहित है। उक्त तौर पर स्थायी प्रकृति के खण्डन हेतु कोई स्टे पत्रावली पर नहीं है बाद बहुलता रोकने व पैसे पर झगड़े को रोकने के उद्देश्य से अपीलार्थी व गैरों के पक्ष में स्थाई अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाता है कि आगामी आदेश तक आराजी प्रतिवादी के पक्ष की यथास्थिति बनाये रखे व विपक्षीगण का हस्तक्षेप नहीं करे पत्रावली वास्ते जवाब व इस तरीखी तारीख अपीलों 2 दिनांक 31.3.22 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

31.3.22 .....पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय के बाहर दौरे/अवकाश पर होने के कारण आज के प्रकरणों में तारीख तब्दील की जाती है। मुतालबक आम सूचना के मिसल दिनांक 20/5/22 को पूर्व आदेश की पालना में पेश है।

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

12/22

20/5/22
पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/... प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 7/7/22 को पेश हो।

आदेशानुसार
रीडर

13.6.22 पूर्व वाद के प्रस्तुत प्रपत्र अनुसार पत्रावली तलब की पूर्व वाद तारीख पेशी में शामिल किया गया है अतः पत्रावली केवल शुरू से ... दाखिल करावें

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:38:32 IST
Reason: SelfAttested